न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 83/2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मालाराम पुत्र वागाराम उम्र 32 वर्ष जाति भील निवासी साम्भरा तहसील पचपदरा हाल निवासी गिरली चारणान तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. तगी पत्नि लुम्बाराम उम्र 65 वर्ष 2. नेनाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र 45 वर्ष 3. मीठाराम पुत्र लुम्बाराम उम्र 43 वर्ष 4. ढलाराम पुत्र लुन्बाराम उम्र 40 वर्ष जातियान भील निवासी सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5. चम्पाराम पुत्र मोहनलाल उम्र 40 वर्ष जाति भील निवासी सोढो की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 6.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1.श्री भंवरलाल सारण, वकील प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

3.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 6 की ओर से उपस्थित।

4.विप्रार्थी संख्या 01 से 05 एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 20.01.2026

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 80/6 रकबा 3.6405 हैक्टयर ग्राम गिरली चारणान तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिससे लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 से 04 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6/8 रकबा 7.2810 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी खसरा नम्बर 6/6 रकबा 7.2810 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से सरकारी सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेतों में से चल रहे कदीमी रूप से प्रचलित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर देते है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। कि प्रार्थी द्वारा के द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 6/6 व 6/8 में से रास्ते की मांगी की है, विप्रार्थीगण के खेत के सेढे से होकर रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश है तथा जिससे बढी हुई

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

क्षतिपूर्ति राशि को भुगतान करने हेतु सहमत है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी को मौके पर अवस्थित एवं चलायमान सड़क मार्ग से जुड़ने से ही रास्ते की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ अ में बरंग लाल से दर्शित भूमि सरकारी में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील उपस्थित नहीं हुए, परन्तु उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया एवं शेष को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तावित रास्ते के नजरी नक्शे, विवादित भूमि सहित प्रस्तावित रास्ते के रूट की जमाबन्दियां प्रस्तुत की तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सिणधरी से आवेदन के तथ्यों के संबंध में मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 80/6 रकबा 3.6405 हैक्टयर ग्राम गिरली चारणान तहसील सिणधरी में अवस्थित है, जिससे लगती हुई विप्रार्थी सं. 1 से 04 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 6/8 रकबा 7.2810 हैक्टयर व विप्रार्थी सं. 5 की खातेदारी खसरा नम्बर 6/6 रकबा 7.2810 हैक्टयर आई हुई है। प्रार्थी को उसके खातेदारी खेत से सरकारी सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेतों में से चल रहे कदीमी रूप से प्रचलित मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में विप्रार्थीगण की खातेदारी में होने से भूमि पर काश्त कर रास्ता अवरूद्व कर देते है, जिससे दोनों पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति बनी रहती है। कि प्रार्थीगण द्वारा के द्वारा विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 6/6 व 6/8 में से रास्ते की मांगी की है, तथा जिससे बढी हुई क्षतिपूर्ति राशि को भुगतान करने हेतु सहमत है, इस तरह विप्रार्थीगण से दोनो विकल्पो में से किसी भी विकल्प के स्थान पर रास्ता दिया जाता है तो प्रार्थीगण को स्वीकार है।ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को मौके पर अवस्थित एवं चलायमान सड़क मार्ग की सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा।अतः प्रार्थी ने आवेदन के सलंग्न प्रसतुत नक्शा परिशिष्ठ अ में दर्शित भूमि अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे। प्रार्थी नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण को अदा किये जाने हेतु सहमत है।

विप्रार्थी सं. 6 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के तथ्यों का कथन करते हुए अपनी बहस के तथ्यों में अवगत कराया कि न्यायालय में

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 83/2023 अनवान मालाराम बनाम तगी वगैरह में प्रार्थी मालाराम को अपनी खातेदारी भूमि मौजा गिरली चारणान के खसरा संख्या 80/6 में आवगमन हेतु रास्ता के संबंध में मौका जांच रिपोर्ट के द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक भूका वगतसिह व हल्का पटवारी करना द्वारा करवाई गई। भू-अभिलेख निरीक्षक भूका वगतसिह व हल्का पटवारी करना की जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 80/6 में आवगामन हेतु रास्ते के विकल्प के रूप में मौका मुआयना किया गया तो पाया कि प्रार्थीनी का उक्त खातेदारी खेत खसरा कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं हैं। आवागमन हेतु सबसे निकटतम रास्ता पड़ौसी खसरा संख्या 6ध्8 रकबा 7. 2810 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शे में लाल रंग तथा 6/2 रकबा 7.2810 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शे में हरा रंग से दर्शाये अनुसार हैं। खसरा संख्या 6ध्6 रकबा 7.2810 हैक्टेयर पर PACL से संबंधित सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी स्थगन का नोट जमाबंदी में लगा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीनी द्वारा आवागमन इसी रास्ते से किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार को कोई निर्माण/अतिक्रमण नहीं हैं। प्रार्थी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 422 मीटर है। प्रस्तावित रास्ता गिरली चारणान से चांदेसरा ग्रेवल सड़क से प्रार्थी के खेत को जोड़ता है। सभी विकल्पों पर गौर करने के उपरान्त संलग्न नक्शे में लाल व हरे रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इससे कम दूरी का उपयुक्त विकल्प उपलब्ध नहीं है।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी ख.नं. 299 भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और अपने उक्त खेत से सरकारी सड़क तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम जोगासर के खेत ख.नं. 436/2 व 303 में से कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता होना बताकर उक्त रास्ते की भूमि गैरमुमकीन रास्ते के रूप में सरकारी खाते में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 80/6 में आवगामन हेतु रास्ते के विकल्प के रूप में मौका मुआयना किया गया तो पाया कि प्रार्थीनी का उक्त खातेदारी खेत खसरा कटाण मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं हैं। आवागमन हेतु सबसे निकटतम रास्ता पड़ौसी खसरा संख्या 6ध्8 रकबा 7. 2810 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शे में लाल रंग तथा 6/2 रकबा 7.2810 हैक्टेयर में से संलग्न नक्शे में हरा रंग से दर्शाये अनुसार हैं। खसरा संख्या 6ध्6 रकबा 7.2810 हैक्टेयर पर PACL से संबंधित सुप्रिम कोर्ट द्वारा जारी स्थगन का नोट जमाबंदी में लगा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थीनी द्वारा आवागमन इसी रास्ते से किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ता मौके पर खाली है एवं किसी प्रकार को कोई निर्माण/अतिक्रमण नहीं हैं। प्रार्थी को रास्ते की नितान्त

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की कुल लम्बाई 422 मीटर है। प्रस्तावित रास्ता गिरली चारणान से चांदेसरा ग्रेवल सड़क से प्रार्थी के खेत को जोड़ता है। प्रस्तावित रास्ता सड़क तक प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते की प्रार्थी को आत्यर्तिक आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है और आवागमन के लिए प्रयुक्त हो रही है। रास्ते की चौड़ाई 9 मीटर है और ख.नं. 6/8 में रास्ते की लम्बाई 382 मीटर व प्रभावित रकबा 0.3468 हैक्टयर तथा ख.नं. 6/2 में रास्ते की लम्बाई 40 मीटर ओर प्रभावित रकबा 0.0360 हैक्टयर है। चूंकि रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले में प्रभावित खातेदारान को उनके खसरे की प्रचलित डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि भुगतान करवाने का प्रावद्यान है और प्रभावित खसरों की डी.एल.सी. दर 252000/– रूप्ये प्रति हैक्टयर है। अतः खसरा नम्बर 6/8 के खातेदारों को प्रभावित रकबे 0.3468 हैक्टयर के बदले 175000/– रूप्ये तथा खसरा नम्बर 6/2 के खातेदारों की प्रभावित 0.0360 हैक्टयर भूमि के बदले 18200/– रूप्ये क्षतिपूर्ति के रूप मे प्रार्थीगण से दिलवाये जाने है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास प्रस्तावित रास्ता की आवागमन का इकलौता विकल्प है और इसकी उसे आत्यंतिक आवश्यकता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम गिरली चारणान तहसील सिणधरी की खसरा नम्बर 80/6 से निकटमत सरकारी सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु रास्ते की चौड़ाई 9 मीटर है और ख.नं. 6/8 में रास्ते की लम्बाई 382 मीटर व प्रभावित रकबा 0.3468 हैक्टयर तथा ख.नं. 6/2 में रास्ते की लम्बाई 40 मीटर ओर प्रभावित रकबा 0.0360 हैक्टयर के खातेदारान को देय सकल क्षतिपूर्ति राशि 193200/– अक्षरे एक लाख तरानवें हजार दौ सौ रूप्ये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को स्वीकृति रास्ते की भूमि सरकारी खाते में गैरमुमकीन रास्ते के रूप में अमलदरामद एवं तद्नुसार लट्ठा नक्शा मे तरमीम सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ. /2025/3368 दिनांक 18.12.2025 प्रेषित मौका रिपोर्ट के सलंग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान प्रभावित खातेदारान को उनके प्रभावित भूमि में निहित वास्तविक हिस्सानुसार करें।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20.01.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी